FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0140 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/05/2026 16:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 26/05/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:31 बजे **Time To (समय तक):** 09:32 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/05/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/05/2026 16:34:35 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 430 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** SARAKARI R.I. QUARTER, HANUMAN TEKARI, TEHSIL KHMANOR, JILA RAJSAMAND

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJESH PUROHIT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PREMSHANKAR PUROHIT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KUTHWA, NATHDWARA, NATHDWARA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KUTHWA, NATHDWARA, NATHDWARA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAHUL KUMAR SHARMA		पिता:OMPRAKESH SHARMA	1. INDALI,JHUNJHUNU,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 01-05-2026 को समय करीब 4.31 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक डां. सोनू शेखावत को जरिये दूरभाष श्री राजेश पुरोहित ने बताया कि मेरे पड़ौस में श्रीमती मंजू सिघंवी पत्नी श्री मांगीलाल सिघंवी रहते है तथा उनके द्वारा उनकी पुत्री श्रीमती वंदना कोठारी के नाम पर गांव राछेटी पटवार हल्का बड़ा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द मे खसरा संख्या 348, 350, 351, 352, 360 क्षेत्रफल 0.5565 हैक्टर जरिये दानगृहिता रजिस्ट्री दिनांक 09.05.2023 को करवाई थी। श्रीमती मंजु सिंघवी की पुत्री श्रीमती वंदना कोठारी व उनके पति श्री निर्मल कोठारी उनके परिवार सहित वर्तमान में मुम्बई में निवास करते है तथा श्री मांगीलाल जी सिंघवी द्वारा उनकी पुत्री के नाम करवाई गई जमीन का नामान्तरण खुलवाने का काम करवाने के लिये श्रीमती मंजु सिंघवी व उनकी पुत्री श्रीमती वंदना कोठारी व उनके दामाद श्री निर्मल कोठारी द्वारा मुझे कहा गया था जिस पर मैं श्री राहुल शर्मा पटवारी पटवार हल्का बड़ा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द के पास गया और उनकी जमीन की रजिस्ट्री की फोटो प्रति दी और श्रीमती वंदना कोठारी के नाम पर नामान्तरण खोलने के बारे में बातचीत की तो श्री राहुल शर्मा पटवारी सात हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई, जिस पर मैंने इसके बारे में श्रीमती मंजु सिंघवी व उनकी पुत्री श्रीमती वंदना कोठारी व उनके दामाद श्री निर्मल कोठारी को रिश्वत राशि सात हजार रूपये मांगने के बारे में बताया जिस पर उनके द्वारा रिश्वत राशि नही देकर उसके खिलाफ कार्यवाही करवाने हेतु अपनी सहमति देते हुए मुझे कहा गया, जिस पर मेरे द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई। इस पर श्री राजेश पुरोहित को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही एवं रिपोर्ट पेश करने के बारे में अवगत कराया गया तो उसके द्वारा बताया कि श्रीमती वंदना कोठारी व श्री निर्मल कोठारी जो कि वर्तमान में मुम्बई में निवास करते है जिनसे भी मेरी बातचीत हुई है जिन्होने बताया कि वह दोनो पति पत्नी दिनांक 08.05.2026 को मुम्बई से गांव फतहपुर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द आयेंगे उस दिन रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही उनकी उपस्थिति में की जा सकती है तथा कार्यवाही की रिपोर्ट भी उसी दिन श्री निर्मल कोठारी पेष कर देंगे। इस पर श्री राजेश पुरोहित को कार्यालय में पदस्थापित श्री अजयकुमार कानि. के मोबाईल नम्बर दिये जाकर अवगत कराया कि दिनांक 08.05.2026 को श्रीमती वंदना कोठारी व श्री निर्मल कोठारी के मुम्बई से आने पर श्री अजय कुमार कानि. द्वारा सम्पर्क करने पर श्री निर्मल कोठारी से रिपोर्ट लेकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही के बारे में निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 5.20 पी.एम. पर कार्यालय में पदस्थापित श्री अजय कुमार कानि. 456 को श्री राजेश पुरोहित के मोबाईल नम्बर दिये जाकर उनकी ओर से करवाई जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराया जाकर निर्देशित किया गया कि दिनांक 08.5.2026 को श्री राजेश पुरोहित से सम्पर्क कर ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में रखे हुए डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमारी कार्ड प्राप्त कर श्री राजेश पुरोहित व उसके परिचित श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने एवं श्री निर्मल कोठारी से की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट प्राप्त कर बाद मांग सत्यापन कार्यवाही कर हालात अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 08-05-2026 को समय करीब 11.06 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री अजय कुमार कानि. 456 द्वारा जरिये दूरभाश श्री राजेश पुरोहित से सम्पर्क किया तो श्री राजेश पुरोहित द्वारा अवगत कराया कि मेरे परिचित श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी दोनो ही मुम्बई से उक्त कार्यवाही करवाने हेतु पहुच चूके है तथा मैं तथा वह दोनो पति पत्नी आपको नाथद्वारा में मिल जायेगे, तथा बताया कि आज मेरी राहुल शर्मा पटवारी से भी मिलने के सम्बन्ध में दूरभाश वार्ता पर हुई तो उन्होने हमे उसके खमनोर स्थित मकान पर ही लगभग 4.00 पी.एम. के बाद बुलाया है। इस पर श्री राजेश पुरोहित को मांग सत्यापन कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् समय करीब 02.05 पी.एम. पर श्री अजय कुमार कानि. 456 को कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड प्राप्त कर वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही करने एवं श्री राजेश पुरोहित से सम्पर्क कर श्री निर्मल कोठारी से की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री निर्मल कोठारी के स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट प्राप्त कर बाद मांग सत्यापन कार्यवाही कर हालात अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाकर ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर से नाथद्वारा की ओर रवाना किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 5.35 पी.एम. पर श्री अजय कुमार कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक से जरिये दूरभाश वार्ता कर अवगत कराया कि मैं ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर से रवाना होकर समय करीब 3.30

पी.एम. पर नाथद्वारा पहुचा तथा श्री राजेश पुरोहित से सम्पर्क कर मिला तत्पश्चात् श्री राजेश पुरोहित ने बताया कि मेरे परिचित श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी दोनो ही उनके रिश्तेदार के मिलने गये है जो कुछ ही समय मे आ रहे है तथा उनका करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी नाथद्वारा हमारे पास आये तथा उनको मैंने मेरा परिचय दिया जाकर उनसे उनका परिचय प्राप्त करने के बाद श्री निर्मल कोठारी ने स्वयं हस्तलिखित एक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पष्चात् उनको रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराया जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश की गई तो श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी ने बताया कि श्री राहुल शर्मा पटवारी द्वारा मांगी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बन्ध में मांग सत्यापन कार्यवाही में हम साथ चलेंगे परन्तु श्री राजेश पुरोहित द्वारा सम्पूर्ण अग्रिम कार्यवाही करवाई जायेगी तत्पश्चात् समय करीब 4.30 पी.एम. पर मैं व श्री राजेश पुरोहित व उसके परिचित श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी सहित नाथद्वारा से रवाना होकर समय करीब 05.05 पी.एम. पर खमनोर पहुचे तथा समय करीब 05.11 पी.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर श्री राजेश पुरोहित को सुपुर्द कर उसके साथ श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी को वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु श्री राहुल शर्मा पटवारी के खमनोर स्थित आवास के लिये रवाना किया तथा मैं कुछ दूरी बनाये हुए उनके पिछे-पिछे रवाना हुआ तो कुछ दूरी पर ही एक मकान में श्री राजेश पुरोहित व उसके साथ उसके परिचित श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी अन्दर की तरफ प्रवेश हुए तथा मैं उक्त मकान के पास ही मुकीम रहा। समय करीब 5.30 पी.एम. पर श्री राजेश पुरोहित व उसके साथ उसके परिचित श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी उक्त मकान से बाहर आकर मेरे पास आये तथा मुझे श्री राजेश पुरोहित ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु अवस्था में सुपुर्द किया जिसे मैंने लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। उसके बाद श्री राजेश पुरोहित ने बताया कि श्री राहुल शर्मा पटवारी से अभी मिले जिन्होने श्रीमती वंदना कोठारी के नाम उनके पिता द्वारा कराई गई दानगृहिता भूमि का नामान्तरण खोलेने के बारे मे बातचीत की तो श्री राहुल शर्मा पटवारी द्वारा सात हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की उसके बाद मेरे द्वारा कम करने हेतु निवेदन किया गया तो वह पांच हजार रूपये लेने में सहमत हो गया तथा एक हजार रूपये अभी दौराने् मांग सत्यापन ग्रहण कर लिये तथा शेष चार हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर नामान्तरण खोलने हेतु कहा गया है उक्त बातचीत डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उसी समय श्री राजेश पुरोहित व उसके परिचित श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी से बातचीत की तो उनके द्वारा भी श्री अजयकुमार कानि. 456 द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की तथा श्री राजेश पुरोहित ने बताया कि मांग सत्यापन के दौरान् शेष रिश्वत राशि 4000 रूपये के लिये श्री राहुल शर्मा पटवारी ने कहा कि मैं पांच-सात दिन अवकाष पर जा रहा है वापस आकर आपका काम कर दूंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उन्हे ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर में उपस्थित होने हेतु कहा गया तो उनके द्वारा दिनांक 11.05.2026 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अवगत कराया गया जिस पर उनको आवश्यक हिदायत दी गई तथा श्री अजय कुमार कानि. 456 को परिवादी व उसके परिचित को वही रूखसत कर श्री निर्मल कोठारी की ओर से पेश की गई स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये जिस पर श्री अजय कुमार कानि. 456 इस समय 9.00 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर पर उपस्थित आया जिसने मन् पुलिस निरीक्षक को श्री निर्मल कोठारी की ओर से पेश की गई हस्तलिखित रिपोर्ट व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश की जिस पर उक्त रिपोर्ट का अवलोकन व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सुना गया तो श्री अजय कुमार कानि. 456 व परिवादी श्री राजेश पुरोहित व उसके परिचित श्री निर्मल कोठारी व श्रीमती वंदना कोठारी द्वारा पूर्व में जरिये दूरभाश वार्ता पर हालात बताये गये उनके तथ्यों की ताईद हुई। इस प्रकार परिवादी परिवादी श्री राजेश पुरोहित व उसके परिचित श्री निर्मल कोठारी व श्रीमती वंदना कोठारी द्वारा दिनांक 11.05.26 को कार्यालय में उपस्थित होना बताया है जिनके उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी की रिपोर्ट व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय कक्ष की आलमारी में रखा गया।तत्पश्चात् दिनांक 11.05.2026 को समय करीब 01.40 पी.एम.पर पुलिस निरीक्षक के समक्ष श्री राजेश पुरोहित व उसके साथ परिचित निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी हाल निवासी मुम्बई उपस्थित आये तत्पश्चात् श्री राजेश पुरोहित ने मन् पुलिस निरीक्षक से दिनांक 01.05.2026 तथा दिनांक 08.05.2026 को जरिये दूरभाष हुई बातचीत की ताईद की। तत्पश्चात् दिनांक 08.05.2026 को श्री निर्मल कोठारी द्वारा स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया कि "निवेदन है कि मै प्रार्थी निर्मल कोठारी पुत्र श्री मोहनलाल जी कोठारी निवासी फतहपुर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द का निवासी हू तथा मेरी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी को उनके पिताजी श्री मांगीलाल जी सिघंवी के द्वारा उनके खातेदारी जमीन जो कि गांव राछेटी पटवार हल्का बड़ा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द मे थी जिनको उनके द्वारा एक मात्र पुत्री श्रीमती वंदना कोठारी होने के नाते जमीन जिसके खसरा संख्या 348, 350, 351, 352, 360 क्षेत्रफल 0.5565 हैक्टर जरिये दानगृहिता रजिस्ट्री दिनांक 09.05.2023 को करवाई थी। मैं व और मेरी पत्नी परिवार सहित वर्तमान में मुम्बई में निवासरत है तथा वही पर व्यावसाय करते है। मेरी पत्नी के नाम पर उक्त जमीन का

रजिस्ट्री होने के बाद नामान्तरण नही खोलने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी द्वारा उनकी माताजी श्रीमती मंजु सिंघवी को बताया जिस पर उनके द्वारा उनके पड़ौस मे रहने वाले और मेरे परिचित श्री राजेश पुरोहित निवासी कुठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द को नामान्तरण का काम करवाने हेतु कहा था जिस पर श्री राजेश पुरोहित हमारे कहे अनुसार श्री राहुल शर्मा पटवारी से जाकर मिले और श्रीमती वंदना कोठारी के नामान्तरण सम्बन्ध में बातचीत की ओर उनको रजिस्ट्री की फोटो प्रति दी जिस पर उन्होने नामान्तरण खोलने की एवज् में 7,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जिसके बारे में श्री राजेश पुरोहित द्वारा मेरी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी एवं मुझे टेलिफोन पर बातचीत कर रिश्वत राशि 7,000 रूपये पटवारी श्री राहुल शर्मा द्वारा नामान्तरण खोलने की एवज् में मांगने से बारे में बताया। इस पर जायज काम के एवज् में रिश्वत राशि नहीं देने ओर उसके खिलाफ कार्यवाही करवाने हेतु हमारे द्वारा श्री राजेश पुरोहित को सहमति दी, जिस पर श्री राजेश पुरोहित द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई। अतः श्रीमान् से निवेदन है श्री राहुल शर्मा पटवारी पटवार हल्का बड़ा भाणुजा को 7,000 रूपये रिष्वत नहीं देकर उसे रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहते है तथा मेरी श्री राहुल शर्मा से किसी प्रकार का कोई लेन देन उधार बकाया नहीं है ना ही किसी प्रकार की कोई आपसी रंजीश है। कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत है तथा दिनांक 01.05.2026 एवं दिनांक 08.05.2026 में अंकित तथ्यो की ताईद की गई। तत्पश्चात् समय करीब 03.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से ब्यूरो कार्यालय इन्टे., उदयपुर की तहरीर तैयार कर श्रीमान् निदेशक, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर को दो गवाहन भिजवाने हेतु प्रेषित किया गया जिस पर समय करीब 03.30 पी.एम. पर दो गवाह कार्यालय निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर से उपस्थित आये जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परियच देते हुए दोनो गवाह से अपना-अपना परिचय पूछा तो एक गवाह ने अपना नाम श्री विशाल माथुर सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री एवं दूसरे गवाह ने अपना नाम श्री बाबूलाल गायरी वरिष्ठ लिपिक कार्यालय निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर होना बताया था जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर कार्यालय कक्ष मे पूर्व से उपस्थित श्री राजेश पुरोहित, श्री निर्मल कोठारी एवं उनकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी से दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 08.05.2026 को श्री निर्मल कोठारी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को श्री राजेश पुरोहित, श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो श्री निर्मल कोठारी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 08.05.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय कक्ष की आलमारी से निकलवाकर चालू कर दोनो गवाहान को सुनाई गई। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र पर श्री राजेश पुरोहित व श्रीमती वंदना कोठारी व दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त सभी को मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में बिठाया गया तत्पश्चात् श्री राजेश पुरोहित, श्री निर्मल कोठारी एवं श्रीमती वंदना कोठारी ने अपने-अपने आधार कार्ड की फोटो प्रतियां हस्ताक्षर पेश की गई तथा श्री निर्मल कोठारी ने उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी के नाम उसके पिता श्री मांगीलाल सिघंवी द्वारा दानगृहिता करवाई गई रजिस्ट्री की फोटो प्रति पेश की गई जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर दोनो गवाह श्री विशाल माथुर व श्री बाबूलाल गायरी तथा श्री राजेश पुरोहित, श्री निर्मल कोठारी एवं श्रीमती वंदना कोठारी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 04.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर एवं श्री बाबूलाल गायरी के समक्ष डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा श्री राजेश पुरोहित एवं आरोपी श्री राहुल शर्मा पटवारी के मध्य दिनांक 08.05.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि कार्यालय के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री अजय कुमार कानि. 456 द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में श्री राजेश पुरोहित ने एक आवाज अपनी स्वयं की, तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री राहुल शर्मा पटवारी पटवार हल्का बडा भाणुजा की होने की पहचान उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। तत्पश्चात् समय करीब 06.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान श्री विशाल माथुर व श्री बाबूलाल गायरी के सक्षम श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी एवं श्री राजेश पुरोहित को की जाने वाली अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी श्री राहुल शर्मा पटवारी पटवार हल्का बडा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द को दी जाने वाली 4000 रूपये रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा तो श्री निर्मल कोठारी एवं उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी ने बताया कि हमारे द्वारा पूर्व मे भी इस सम्बन्ध में बताया जा चूका है कि हम दोनो पति-पत्नी मुम्बई में निवास करते है तथा वही पर हमारा व्यवसाय है, जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज् में श्री राहुल शर्मा पटवारी द्वारा दिनांक 08.05.2026 को मांग सत्यापन के दौरान भी एक हजार रूपये श्री राजेश पुरोहित से हमारे सामने लिये थे तथा चार हजार रूपये पांच-सात दिन बाद लेकर बुलाया है। हमारी ओर से पेश की गई रिपोर्ट मै भी सम्पूर्ण कार्यवाही श्री राजेश पुरोहित द्वारा ही

करवाने की सहमति दी है। श्री निर्मल कोठारी ने बताया कि मुझे व मेरी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी को वापस मुम्बई निकलना है तथा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही श्री राजेश पुरोहित द्वारा जब भी आरोपी श्री राहुल शर्मा पटवारी के अवकाश से वापस आने पर करवाई जायेगी तथा आरोपी श्री राहुल शर्मा पटवारी द्वारा मांग की जाने वाली रिश्वत राशि 4000 रूपये की व्यवस्था कर मै राजेश पुरोहित को मुम्बई जाने से पूर्व दे दुंगा। चूंकि अग्रिम ट्रेप कार्यवाही श्री राजेश पुरोहित द्वारा करवाये जाने हेतु उसे जब भी राहुल शर्मा पटवारी के अवकाष से उपस्थित होने पर दी जाने वाली रिश्वत राशि 4000 रूपये की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय कक्ष की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 06.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री राजेश पुरोहित, श्री निर्मल कोठारी एवं श्रीमती वंदना कोठारी को आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर से रूकसत किया गया तथा दोनो गवाह श्री विशाल माथुर व श्री बाबूलाल गायरी को निर्देशित किया गया कि जब भी श्री राजेश पुरोहित आरोपी के विरूद्व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने पर पुनः तलब करने पर ब्यूरो कार्यालय इन्टे., उदयपुर पर शीघ्र स्वतन्त्र गवाहान के रूप में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूकसत किया गया।तत्पश्चात् दिनांक 25.05.2026 को मन् पुलिस निरीक्षक डां. सोनू शेखावत व परिवादी श्री राजेश पुरोहित के मध्य हुई दूरभाष वार्ता अनुसार अग्रिम कार्यवाही दिनांक 26.05.2026 को किया जाना आवश्यक होने तथा मन् पुलिस निरीक्षक के पैर में मौच आने के कारण श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनि. ब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक भ्रनि. ब्यूरो डूंगरपुर से सम्पादित करवाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक से जरिये दूरभाष वार्ता कर दिनांक 26.05.2026 को प्रातः 7.00 ए.एम. ब्यूरो चौकी इन्टे उदयपुर पर उपस्थित होने तथा परिवादी श्री राजेश पुरोहित द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 26.05.2026 को खमनोर से पूर्व पासुनिया चौराहा पर लगभग समय 8.30 ए.एम. पर आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि चार हजार रूपये की व्यवस्था कर वही पर मिलने हेतु अवगत कराया गया था जिसके बारे में भी श्री राजेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक को उक्त परिवादी के बताये हालात से अवगत कराया। तत्पश्चात् समय करीब 4.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो गवाहान श्री विशाल माथुर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री बाबूलाल गायरी वरिष्ठ सहायक को जरिये दूरभाष वार्ता कर दिनांक 26.05.2026 को प्रातः 7.00 बजे ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पष्चात् दिनांक 26-05-2026 को समय 7.00 ए. एम. पर पूर्व से पाबन्दषुदा दोनो गवाह श्री विशाल माथुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री बाबूलाल गायरी हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया तथा उसी दौरान् श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक एवं दो कानिगण श्री बाबूलाल एवं श्री महेश कुमार भी ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर पर उपस्थित आये जिनको कार्यालय में उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिचय दिया जाकर परिवादी की ओर से पूर्व में पेश की गई रिपोर्ट तथा उस पर दिनांक 25.05.2026 तक की गई कार्यवाही का रनिंग नोट तथा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का रिकॉर्डषुदा मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया तथा परिवादी श्री राजेश पुरोहित के मोबाईल नम्बर दिये जाकर परिवादी के कहे अनुसार खमनोर से पूर्व पासुनिया चौराहा पर मिलने हेतु अवगत कराया गया। कार्यालय में पदस्थापित श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के नाथद्वारा से पूर्व त्रिनेत्र चौराहा पर समय करीब 8.15 ए.एम. पर मिलने हेतु अवगत कराया गया। तत्पश्चात् समय करीब 07.10 ए.एम. पर पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह द्वारा परिवादी की ओर से पूर्व में पेश की गई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु कर मुख्य मुख्य अंश सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। इसके पश्चात् कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्य श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक को कार्यालय के मालखाने से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर निर्देशित कर कार्यालय से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशि श्री बाबुलाल कानि. के पास रखने हेतु सुपुर्द करवाई गई तथा उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो स्वतन्त्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् समय करीब 7.20 ए.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह मय ब्यूरो जाप्ता बाबूलाल कानि. मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशि व श्री महेश कुमार कानि. जरिये सरकारी वाहन से तथा ब्यूरो इन्टे उदयपुर का जाप्ता श्री मूनीर मोहम्मद सउनि. श्री अजय कुमार कानि., एवं दोनो गवाह श्री विशाल माथुर व श्री बाबूलाल गायरी मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन मय चालक श्री भगवतसिंह को नाथद्वारा से पूर्व त्रिनेत्र चौहारा पर रूकने हेतु हिदायत देकर रवाना हुए। तत्पश्चात् समय करीब 8.05 ए.एम. पर पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह मय ब्यूरो जाप्ता बाबूलाल कानि. मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशि व श्री महेश कुमार कानि. जरिये सरकारी वाहन से तथा ब्यूरो इन्टे उदयपुर का जाप्ता श्री मूनीर मोहम्मद सउनि. श्री अजय कुमार कानि., एवं दोनो गवाह श्री विशाल माथुर व श्री बाबूलाल गायरी मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन मय चालक श्री भगवतसिंह सहित नाथद्वारा से पूर्व त्रिनेत्र चौराहा पर पहुचे जहां पर श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी अपनी निजी कार से उपस्थित आये जिनका भी आपस में परिचय करवाया जाकर की जाने वाली ट्रेप

कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तत्पश्चात् ब्यूरो चौकी डूंगरपुर से लेकर आये सरकारी वाहन बोलेरो को त्रिनेत्र सर्कल नाथद्वारा के पास एक तरफ सुरक्षित खड़ा करवाया गया तथा परिवादी श्री राजेश पुरोहित से जरिये दूरभाष वार्ता की गई तो श्री राजेश पुरोहित ने खमनोर से पुर्व पासुनिया चौराहा पर मिलने हेतु अवगत कराया गया। तत्पश्चात् समय करीब 8.25 ए.एम. पर पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह मय ब्यूरो जाप्ता श्री अजयकुमार कानि. व श्री महेषकुमार कानि. व स्वतन्त्र गवाह श्री विशाल माथुर सहित श्री दलपतिंसह सहायक प्रशासनिक अधिकारी की निजी कार से तथा श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक, श्री बाबुलाल कानि. मय फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशि, स्वतन्त्र गवाह श्री बाबुलाल गायरी मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन मय चालक श्री भगवतसिंह सहित त्रिनेत्र चौराहा से खमनोर की तरफ पासुनिया चौराहा के लिये रवाना होकर समय करीब 8.40 ए.एम. पर पासुनिया चौराहा पर पहुचा जहां पर परिवादी श्री राजेश पुरोहित उपस्थित मिला जिसका पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह द्वारा सभी का आपस में परिचय करवाया जाकर पास ही एकान्त स्थान पर पहुचे। परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन बातचीत के दौरान् भी श्री राहुल शर्मा पटवारी जी ने मुझे उनके खमनोर स्थित निवास पर ही बुलाया था तथा वही पर बातचीत हुई थी तथा अधिकतर वह घर पर ही मिल जाते है और वही पर सरकारी काम इत्यादि करते है। तत्पश्चात् समय करीब 8.45 ए. एम. पर उपरोक्त गवाहन के समक्ष पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह द्वारा परिवादी श्री राजेश पुरोहित से आरोपी श्री राहुल शर्मा पटवारी, पटवार हलका सेमा, अतिरिक्त चार्ज बडा भाणुजा, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500- 500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000/- चार हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये। उपरोक्त सभी नोटो पर श्री बाबुलाल कानि नम्बर 393 भ्रनि. ब्यूरो डूंगरपुर से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी जो सरकारी वाहन में रखे ब्यूरो इकाई इन्टे के ट्रेप बॉक्स से मगवाया जाकर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर श्री बाबुलाल कानि नम्बर 393 भ्रनिब्यूरो डूंगरपुर से लगवाया जाकर पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दृष्टान्त फिलोफ्थीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की कार्यवाही की जाकर परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत करवाया गया। उक्त गुलाबी घोल को श्री बाबुलाल कानि नम्बर 393 भ्रनिब्यूरो डूंगरपुर से बाहर खुले स्थान पर फिकवाया गया तथा अखबार एवं डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री बाबुलाल कानि नम्बर 393 भ्रनिब्यूरो डूंगरपुर के पास सुरक्षित रखने की हिदायत देते हुये पुनः वही मुकीम हेतु कहा गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया । गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथा संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री राजेश पुरोहित को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। ट्रेप दल को सुविधानुसार अपने अपने फोन प्रयोग में लेने की हिदायत दी गई। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबून से दो बार धुलवाया गया। श्री बाबुलाल कानि. को फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशि सुपुर्द कर निर्देशित किया गया उक्त स्थान पर ही मुकीम रहे तथा पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह द्वारा निर्देशित करने पर निर्देशानुसार स्थान पर उपस्थित होवे। तत्पश्चात् समय करीब 9.15 ए.एम. पर पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह मय ब्यूरो जाप्ता श्री अजय कुमार कानि. व श्री महेश कुमार कानि. व स्वतन्त्र गवाह श्री विशाल माथुर सहित श्री दलपतिंसह सहायक प्रशासनिक अधिकारी की निजी कार से तथा श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक, स्वतन्त्र गवाह श्री बाबुलाल गायरी मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन मय चालक श्री भगवतसिंह सहित पासुनिया चौराहा से आरोपी श्री राहुल शर्मा के खमनोर स्थित निवास के लिए रवाना हुए तथा परिवादी श्री राजेश पुरोहित को पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह द्वारा उसकी निजी मोटरसाईकिल से आगे-आगे रवाना करते हिदायत दी गई कि आरोपी श्री राहुल शर्मा के निवास से कुछ दूरी पहले रूकने हेतु कहा गया। तत्पश्चात् पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह मय ब्यूरो जाप्ता श्री अजय कुमार कानि. व श्री महेश कुमार कानि. व स्वतन्त्र गवाह श्री विशाल माथुर सहित श्री दलपतिंसह सहायक प्रशासनिक अधिकारी की निजी कार से तथा श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक, स्वतन्त्र गवाह श्री बाबुलाल गायरी मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन मय चालक श्री भगवतसिंह सहित पासुनिया चौराहा से आरोपी श्री राहुल शर्मा के खमनोर स्थित निवास के लिए रवाना हुए तथा परिवादी श्री राजेश पुरोहित उसकी निजी मोटरसाईकिल से आगे-आगे रवाना होकर खमनोर में सड़क के किनारे अपनी मोटरसाईकिल से रूका उस समय परिवादी श्री राजेश पुरोहित को

डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर आवश्यक हिदायत देकर आरोपी श्री राहुल शर्मा पटवारी के निवास के लिये रवाना किया जो रवाना होकर खमनोर स्थित एक मकान के पास अपनी मोटरसाईकिल को खड़ा किया तथा मकान के मुख्य दरवाजे पर खड़ा होकर एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा था तथा कुछ दूरी पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य अपने-अपने वाहनों का एक तरफ खड़ा किया जाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे की इन्तजार में अपनी-अपनी उपस्थित छिपाते हुए खड़े हो गये थे। उसी दौरान् श्री राजेश पुरोहित ने अपने पेन्ट की दाहिनी जेब से रूपये निकाल उक्त बातचीत कर रहे व्यक्ति को दिये जो उसने लेकर उक्त व्यक्ति मकान का गेट बन्द कर अन्दर चला गया और परिवादी श्री राजेश पुरोहित अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर कुछ दूरी पर खड़ा होकर अपने सिर पर हाथ फैरकर पूर्व निर्धारित ईषारा समय करीब 9.32 ए.एम. पर पर किया गया। जिस पर पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर व श्री बाबुलाल गायरी मय ब्यूरो जाप्ता श्री अजयकुमार कानि. व श्री महेश कुमार कानि., श्री दलपतिंसह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक सहित तेज-तेज कदमों से चलकर जैसे ही परिवादी श्री राजेश पुरोहित के पास पहुचकर उसे अपने साथ लेकर उक्त मकान के मुख्य दरवाजे पर पहुचे तो मकान के लोहे का गेट अन्दर से बन्द था जिस पर उसे बार-बार खुलवाने हेतु आवाज लगाई परन्तु अन्दर से गेट नही खोला गया जिस पर लोहे के गेट को धक्का देकर खोला गया तो अन्दर बने एक कमरे में दो व्यक्ति अलग-अलग कुर्सी पर बैठे हुए थे तथा एक व्यक्ति मकान के अन्दर पीछे की बालकनी से अन्दर आ रहा था जिसकी ओर परिवादी श्री राजेश पुरोहित ने ईशारा कर बताया कि यही श्री राहुल शर्मा पटवारी है जिन्होने अभी-अभी चार हजार रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की थी तत्पश्चात् परिवादी श्री राजेश पुरोहित ने अपने पास से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया जिसे बन्द कर सुरक्षित रखा गया तत्पश्चात् पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह द्वारा अपना एवं हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राहुलकुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाष शर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी इण्डाली तहसील झूंझूंनु हाल पटवारी पटवार हल्का सेमा अतिरिक्त चार्ज बड़ा भाणुजा व छोटा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द होना बताया तथा कमरे में उक्त आरोपी के अलावा दो व्यक्ति मौजुद मिले जिनको भी मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए आने के मनतव्य से अवगत करवाया जाकर उनसे उनका परिचय पुछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम गोपेश गहलोत पुत्र श्री डालचन्द्र उम्र 31 वर्ष निवासी पुरानी तहसील रोड खमनोर पुलिस थाना खमनोर जिला राजसमन्द हाल पटवारी पटवार मण्डल झालो की मदार तहसील खमनोर जिला राजसमन्द एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम रामसिंह यादव पुत्र श्री सुरजमल यादव उम्र 30 वर्ष निवासी तहसील नीम का थाना पुलिस थाना थोई जिला सीकर हाल पटवारी पटवार मण्डल मोलेला तहसील खमनोर जिला राजसमन्द होना बताया था। इस पर परिवादी राजेश पुरोहित ने बताया कि अभी अभी कुछ समय पूर्व जब मैं उक्त मकान के मुख्य दरवाजे पर आकर गेट बजाया तो अन्दर से यह रामसिंह जी पटवारी ने लोहे के गेट को खोला और मेरे द्वारा उनको श्री राहुल कुमार शर्मा पटवारी से मिलने हेतु कहने पर उनके द्वारा श्री राहुल कुमार शर्मा को आवाज देकर बुलाया तत्पश्चात् श्री राहुल कुमार शर्मा गेट पर आये और रामसिंह जी पटवारी गेट से मकान की अन्दर की तरफ चले गये। मैने श्री राहुल कुमार शर्मा को श्रीमती वदंना कोठारी के नामान्तरण खोलने के सम्बन्ध में वार्ता की और वार्ता के दौरान इनकी मांग के मुताबिक मैने 4,000 रूपये दिये जो श्री राहुल कुमार शर्मा ने अपने हाथो से ग्रहण कर हमारी आपस में बातचीत होने के बाद मकान के गेट को बन्द कर अन्दर की तरफ चले गये तत्पष्चात् मेरे द्वारा आपको पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फैरकर किया। उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता के समक्ष आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा पटवारी को परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा पटवारी कुछ नहीं बोला और चुप रहा। जिस पर पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह ने पुनः आरोपी को तसल्ली देकर रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पुछा तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि माफ कर दो गलती हो गई है मेरी नई नई नोकरी है मुझे बचा लो। इस पर परिवादी श्री राजेश पुरोहित से ग्रहण की गई रिश्वत राशि चार हजार रूपये लेकर किस स्थान पर रखने हेतु पुछा गया तो पुनः चुप हो गया और कुछ नही बोला। इस पर पुनः तसल्ली देकर रिश्वत राशि के बारे में पुछने पर उसने बताया कि मेरे से गलती हो गई है तथा मैंने अभी कुछ समय पूर्व श्री राजेश पुरोहित से चार हजार रूपये ग्रहण करने के बाद मैंने लोहे के गेट को अन्दर से बन्द कर दिया तथा कुछ ही समय पूर्व आपकी टीम को मैंने खिड़की से आता हुआ देखकर मैंने जो चार हजार रूपये ग्रहण किये थे जो इसी मकान के परिसर में बालकनी में बने हुए लेटबॉथ की ड्ब्ल्यू.सी. के अन्दर डालकर वापस बालकनी से कमरे की तरफ आ रहा था और आप लोग गेट को धक्का देकर अन्दर आ गये। इस पर पुलिस निरीक्षक श्री ाजेन्द्रसिंह मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान के साथ आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा को साथ लेकर उसकी निषादेही से कमरे के पीछे बालकनी में बने हुए लेटबॉथ में प्रवेष किया और श्री राहुल कुमार शर्मा ने लेटबॉथ की ड्ब्ल्यू.सी. के अन्दर की ओर ईशारा कर रूपये डाले हुए को बताया जिस पर पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह के निर्देशानुसार स्वतन्त्र गवाह श्री विशाल माथुर से लेटबॉथ की ड्ब्ल्यू.सी. के अन्दर से 500-500 के नोट पड़े हुए को निकलवाये जो पानी से गिले हो गये थे जिन्हे बाहर कमरे में लगे हुए पंखे के नीचे सुखाने हेतु रखा गया तथा उक्त नोटो मिलान दोनो स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेषकषी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हू ब हू होना पाया गया। चूंकी आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा द्वारा परिवादी श्री राजेश पुरोहित से रिश्वत राशि 4,000 रूपये

अपने दोनो हाथो से ग्रहण किये गये थे जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री मुनीर मोहम्मद सउनि. से सरकारी वाहन में रखे हुए ट्रेप बाक्स को मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शीशियों को श्री मुनीर मोहम्मद ए.एस.आई. से सिल-चिट करा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शीशिया को श्री मुनीर मोहम्मद ए.एस.आई. से सिल-चिट करा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात् उपरोक्त बरामद शुदा नोटों को सुखने के पश्चात् नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर श्री मुनीर मोहम्मद ए.एस.आई. से नियमानुसार सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क N अंकित कर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके पश्चात् दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा पटवारी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान् परिवादी श्री राजेश पुरोहित से ग्रहण की गई एक हजार रूपये रिश्वत राशि के बारे में पुछने पर उसने बताया कि साहब उक्त एक हजार रूपये जो मैंने दिनांक 08.05.26 को लिये थे जो मेरे से खर्च हो गये है। इसी प्रकार रिश्वत राशि बरामदगी स्थान जो कि कमरे के पीछे बालकनी में बने हुए लेटबाथ की ड्ब्ल्यू.सी. के अन्दर पानी में डूबे हुए को निकाला गया था इसलिये उक्त स्थान पर पानी भरा हुआ है जिसका धोवन लिया जाना सम्भव नही है तथा उपरोक्त नोट बरामद किये गये थे उस दौरान् नियमानुसार विडियोग्राफी करवाई गई है। तत्पश्चात् पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह द्वारा जरिए मोबाईल हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये तत्पश्चात् उक्त कमरे में उपस्थित श्री रामसिंह यादव पटवारी को पुछने पर उसने परिवादी श्री राजेश पुरोहित की ओर ईशारा कर बताया यह कुछ समय पूर्व गेट पर आये थे जिन्होने गेट बजाया तो मैंने गेट को खोला और इनके द्वारा श्री राहुलकुमार शर्मा पटवारी के बारे में पुछने पर मैंने श्री राहुलकुमार शर्मा पटवारी को आवाज लगाई तो श्री राहुल कुमार शर्मा पटवारी गेट पर आया और इनसे बातचीत कर रहा था और मैं मकान के अन्दर आ गया था तथा बताया कि मैं और राहुलकुमार शर्मा पटवारी दोनो ही इसी मकान में बने अलग-अलग कमरे में निवास करते है। इस पर उपस्थित श्री गोपेश गहलोत पटवारी पटवार हल्का झालो की मदार के वहा पर उपस्थित होने के बारे में पुछने पर बताया कि मैं कुछ समय पूर्व ही श्री रामसिंह यादव पटवारी से मिलने आया था और हम आपस में बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान् आप आ गये। इसके पष्चात् आरोपी श्री राहुलकुमार शर्मा पटवारी को श्रीमती वंदना कोठारी के नाम पर गांव राछेटी पटवार हल्का बड़ा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द मे खसरा संख्या 348, 350, 351, 352, 360 क्षेत्रफल 0.5565 हैक्टर जरिये दानगृहिता रजिस्ट्री दिनांक 09.05.2023 को करवाई थी जिसके नामान्तरण एवं उक्त रजिस्ट्री की फोटो प्रति जो कि परिवादी श्री राजेश पुरोहित द्वारा दी गई थी जिसके बारे में पुछने पर उसने बताया कि नामान्तरण अभी तक नही खोला है और रजिस्ट्री की फोटो प्रति उसकी निषादेही से उसके कमरे में रखे हुए बेग से निकालकर पेश की जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया। चूंकि उपरोक्त कार्यवाही फर्द मुर्तिब किये जाने हेतु पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह मय आरोपी श्री राहुलकुमार शर्मा पटवारी को साथ लेकर दोनो गवाहान मय हमराहियान व जब्तषुदा आर्टीकल्स व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व जब्तशुदा रिश्वती राशि चार हजार रूपये व श्री रामसिंह यादव पटवारी व श्री गोपेश गहलोत सहित जरिये सरकारी व निजी वाहन व परिवादी श्री राजेश पुरोहित को अपनी निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर आरोपी श्री राहुलकुमार शर्मा के उक्त सरकारी आवास पर ताला लगवाया जाकर सभी मौके से समय करीब 10.40 ए.एम. पर तहसील कार्यालय खमनोर के लिये रवाना होकर समय करीब 10.53 ए.एम. पर तहसील कार्यालय खमनोर उपस्थित आये तथा तहसील कार्यालय में उपस्थित श्री घनश्यामसिंह ऑफिस कानून गो उपस्थित मिले जिनको पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह द्वारा मनतव्य से अवगत कराया जाकर कार्यालय में एक कमरे में पहुचकर उपरोक्त हालात की फर्द पृथक से नियमानुसार मुर्तिब की गई। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप पर तैयार की गई तथा उक्त बरामदगी श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से टाईप करवाई गई तथा उक्त बरामदगी की कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह के निर्देशानुसार श्री अजयकुमार कानि. 456 से सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई जाकर बाद कार्यवाही आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा हाल पटवारी पटवार मण्डल सेमा अतिरिक्त चार्ज छोटा भाणुजा एवं बडा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा हाल पटवारी पटवार हल्का

सेमा अतिरिक्त चार्ज छोटा भाणुजा एवं बड़ा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द द्वारा श्रीमती वंदना कोठारी पुत्री श्री मांगीलाल सिघंवी द्वारा अपनी पुत्री को जरिये दानगृहिता जमीन की रजिस्ट्री करवाई जिसका नामान्तरण खोलने की एवज् में आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा पटवारी द्वारा दिनांक 08.05.2026 को दौराने रिश्वत राशि की मांग सत्यापन वार्ता 7000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर 5,000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होकर 1000 रूपये उसी दिन परिवादी श्री राजेश पुरोहित से श्री निर्मल कोठारी व उसकी पत्नी श्रीमती वंदना कोठारी के समक्ष प्राप्त करना तथा दिनांक 26.05.2026 को अपनी मांगानुसार शेष राशि 4,000 रूपये ग्रहण करने पर आरोपी को रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा हाल पटवारी पटवार हल्का सेमा अतिरिक्त चार्ज छोटा भाणुजा एव बडा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय 1988 (यथा संशोधित-2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी इण्डाली तहसील झूंझूंनु हाल पटवारी पटवार हल्का सेमा अतिरिक्त चार्ज छोटा भाणुजा व बड़ा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित-2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। भवदीय, (डां. सोनू शेखावत) प्रभारी (पु.नि.) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डां. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राहुल कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी इण्डाली तहसील झूंझूंनु हाल पटवारी पटवार हल्का सेमा अतिरिक्त चार्ज बड़ा भाणुजा व छोटा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री लक्ष्मण लाल डांगी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू उदयपुर, को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 1275 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 869-72 दिनांक 29.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमन्द 2- जिला कलक्टर, राजसमन्द 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे उदयपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** LAKSHMAN LAL DANGI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/05/2026 16:37:15

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)